

प्रेस-विज्ञप्तिथाना तहबरपुरअवैध कट्टा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा जनपद आजमगढ़ को अपराध मुक्त किये जाने के मद्देनजर चलाये जा रहे अभियान वांछित / वारन्टी की गिरफ्तारी व बरामदगी के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आजमगढ़ श्री सिद्धार्थ के कुशल निर्देशन में क्षेत्राधिकारी बूढनपुर व प्र०नि० अनुराग कुमार के नेतृत्व में दिनांक 23.09.2021 को उ०नि० अंजनी सिंह मय हमराह का० प्रशान्त कुमार , का० जैश गुप्ता व का० हिमांशु कुमार निषाद के मंझारी बाजार में अपराध एवं अपराधियों की चर्चा कर ही रहे थे कि मुखबिर खास ने आकर बताया कि एक व्यक्ति संदेह जनक स्थिति में मंझारी देशी शराब के ठेके के पास से जनईगंज बाजार की तरफ जाने वाली पक्की सड़क पर कुछ ही दूरी पर एक सफेद रंग की बिना नम्बर प्लेट की अपाचे गाड़ी लिये खड़ा है। मुखबिर खास की सूचना पर विश्वास करके पुलिस टीम मुखबिर खास के मंझारी नहर पुलिया के पास पहुंची , मुखबिर खास द्वारा संदेही व्यक्ति की तरफ इशारे से बताते हुए मौके से हट बढ़ गया। पुलिस टीम द्वारा हिम्मत अमली से संदिग्ध व्यक्ति के पास पहुंचकर घेरकर रोक लिया गया तो वह व्यक्ति पुलिस टीम को देखकर घबराने लगा। व्यक्ति से उसका नाम पता पूछते हुए घबराने का कारण पूछा गया तो वह अपना नाम मनीष चतुर्वेदी उर्फ बीरू S/O राजेन्द्र चौबे R/0 नगवाँ जयरामपुर थाना अतरौलिया जिला आजमगढ़ बताते हुए अपने पास कट्टा कारतूस लिये होने की बात बताया। अभियुक्त की तलाशी ली गयी तो उसके पास से एक अदद कट्टा 315 बोर तथा एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। व्यक्ति को उसका यह कार्य धारा 3/25 A. ACT का दण्डनीय अपराध बताते हुए समय करीब 06.20 PM बजे हिरासत पुलिस लिया गया। अभियुक्त के पास मौजूद वाहन अपाचे मो०सा० बिना नम्बर की बारंग सफेद चेचिस नं० MD634AE89L2C06170 को अन्तर्गत धारा M.V. ACT 207 में सीज कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

मनीष चतुर्वेदी उर्फ बीरू पुत्र राजेन्द्र चौबे निवासी नगवाँ जयरामपुर, थाना अतरौलिया, आजमगढ़

बरामदगी

एक अदद कट्टा 315 बोर तथा एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु०अ०सं० 69/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-

1. उ०नि० अंजनी सिंह
2. का० जैश गुप्ता
3. का० हिमांशु कुमार निषाद
4. का० प्रशान्त कुमार

थाना तहबरपुर10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 24.09.2021 को व०उ०नि० बसन्तलाल मय हमराह का० उत्कर्ष शुक्ला व का० अजय कुमार राय के थाने से प्रस्थानित होकर सोफीपुर चौराहे पर चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति संदिग्ध वाहन/बैक चेकिंग में मामूर थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना प्राप्त हुई कि नन्द ढाबा के पास खरचलपुर (इण्डेन गैस गोदाम) जाने वाली सड़क मोड़ पर एक व्यक्ति एक प्लास्टिक की पीपिया में 10 ली० कच्ची शराब के साथ खड़ा है इस सूचना पर विश्वास करके पुलिस टीम मुखबिर को साथ लेकर नन्द ढाबा पास पहुंची मुखबिर द्वारा दूर से इशारा करके बताया गया कि जो व्यक्ति तिराहे पर खड़ा है वही व्यक्ति है। बताने के पश्चात पीछे मुड़कर चला गया। नजदीक पहुंच कर मय

पुलिस बल के द्वारा टोका गया कि कैसे खड़े हो तो पीछे मुड़कर भागने का प्रयास करने लगा कि आवश्यक बल प्रयोग कर मौके पर ही पकड़ लिया गया । पकड़े गये व्यक्ति का नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम कमलेश यादव s/o लालचन्द यादव ग्राम गयासपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ बताया जामा तलाशी ली गयी तो प्लास्टिक की पीपिया मे 10 ली0 कच्ची शराब बरामद हुई। नाजायज शराब रखने के बाबत पूछा गया तो उसने गलती के लिये माफी मागने लगा बताया कि यही मेरे रोजी रोटी का जरिया है बेचने के लिये लेकर जा रहा था कि आप लोगो के द्वारा पकड़ लिया गया। अभियुक्त का यह कृत्य अन्तर्गत 60 Ex Act का दण्डनीय अपराध है। अतः कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय करीब 11.10 AM बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

### **गिरफ्तार अभियुक्त:-**

कमलेश यादव पुत्र लालचन्द यादव निवासी गयासपुर, थाना कन्धरापुर, आजमगढ़

### **बरामदगी**

एक प्लास्टिक की पीपिया मे 10 ली0 कच्ची शराब

### **पंजीकृत अभियोग का विवरण-**

मु0अ0सं070/21 धारा 60 आबकारी एक्ट थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़

### **गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-**

1. व0उ0नि0 बसन्तलाल
2. का0 उत्कर्ष शुक्ला
3. का0 अजय कुमार राय

\*नोट-जनपद आजमगढ़ के समस्त थाना द्वारा शान्ति व्यवस्था हेतु कुल 15 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी है।\*